राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवान सहाय बनाम ग्यारसी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 119/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो।	
04/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2012 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24/11/2025 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24/11/2025 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोका किया गया। अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति यही है कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात में केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 का खाता अलग से प्रस्तावित करते हुये शेष सहखातेदारान को ईकजाई रूप से रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात के आधार पर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी की गयी है। इस सन्दर्भ में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गयी आपत्ति विधिक एवं न्यायोचित्त प्रतीत होती है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत विभाजन के वाद में सभी सहखातेदारान/पक्षकारान की भूमि का अलग-अलग खाना व लगान कायम करते किन्तु ऐसा नही कर केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 का विभाजन कर अलग से खाता कायम करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है एवं ऐसे त्रुटीपूर्ण निर्णय व डिक्री को चुनौती दिये जाने में हुये विलम्ब को न्यायहित में कन्डोन किया जाना उचित समझा जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24/11/2015 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं सभी सहखातेदारान का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तैयार करवाया जाना सुनिश्चित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवान सहाय बनाम ग्यारसी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति पस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर